बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र०/BSP(H)CL–10/2026– /पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं को केन्द्रांश के अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता 10,000/– (दस हजार) रूपये प्रति किलोवाट अधिकतम 20,000/– (बीस हजार) रूपये प्रति उपभोक्ता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से 01 वर्ष के लिए कुल अनुमानित व्यय की स्वीकृत राशि 1000.00 करोड़ (एक हजार करोड़) रुपये के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2026–27 में 3.739 करोड़ (तीन करोड़ तिहत्तर लाख नब्बे हजार) रूपये व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय संकल्प संख्या–03 दिनांक–14.08.2026 द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं को केन्द्रांश के अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता 10,000/– (दस हजार) रूपये प्रति किलोवाट अधिकतम 20,000/– (बीस हजार) रूपये प्रति उपभोक्ता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से 01 वर्ष के लिए कुल 1000.00 करोड़ (एक हजार करोड़) रुपये अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के अंतर्गत 24,747 आवासीय उपभोक्ताओं को केन्द्रांश के अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता हेतु 49.42 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1885 आवासीय उपभोक्ताओं को केन्द्रांश के अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता हेतु 3.739 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया जाना है।

3. उक्त आलोक में प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवासीय उपभोक्ताओं को केन्द्रांश के अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता 10,000/– (दस हजार) रूपये प्रति किलोवाट अधिकतम 20,000/– (बीस हजार) रूपये प्रति उपभोक्ता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से 01 वर्ष के लिए कुल अनुमानित व्यय की स्वीकृत राशि 1000.00 करोड़ (एक हजार करोड़) रुपये के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2026–27 में 3.739 करोड़ (तीन करोड़ तिहत्तर लाख नब्बे हजार) रूपये व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि बजट मांग संख्या–10, मुख्य शीर्ष, 2801–विद्युत–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता, उपशीर्ष–0004–बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 विपत्र कोड–10–2801801900004 विषय शीर्ष–33.01 सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना

से कर इसका भुगतान कैनरा बैंक, एग्जिबिशन रोड शाखा, लवकुश टावर, पटना के बचत खाता संख्या–110333129484 एवं IFSC Code-CNRB0002004 में की जायेगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन अनुमोदन संचिका संख्या–प्र०/BSP(H)CL–10/2026 के पृष्ठ संख्या–55/टि0 पर दिनांक–12.08.2026 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र०/BSP(H)CL–10/2026 के पृष्ठ संख्या–12/टि0 पर दिनांक–21.10.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(सुधा गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/BSP(H)CL–10/2026– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/BSP(H)CL–10/2026– 5281 /पटना, दिनांक– 22.10.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.10.26

सरकार के संयुक्त सचिव।